

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं०— से

जिला — गिरिडीह, अंचल — धनवार, विविध वाद सं०— 22/सन-2025— 26

केस का प्रकार — विविध वाद

आदेश का क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
04.06.2025	—:आदेश: — यह विविध वाद अभिलेख सं०— 22/2025— 26 आवेदक वासुदेव नायक, पिता— स्व० वैजनाथ नायक, साकिन— धरमपुर, थाना— धनवार, जिला— गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं०— 04, श्री राहुल कुमार वर्मा के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन अनुसार अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा— धरमपुर, थाना नं०— 145 के भौतिक पंजी— II के भाग सं०— I, पृष्ठ सं०— 50 पर गांगो कुम्हार वगैरह, पिता— गणेश कुम्हार के नाम से जमाबंदी दर्ज है। परन्तु ऑनलाइन पंजी— II में उक्त जमाबंदी दर्ज नहीं है। प्रतिवेदन में भौतिक पंजी— II के अनुसार ऑनलाइन पंजी— II में उक्त जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा की गई है। जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा के आलोक में मौजा— धरमपुर/145 के भौतिक पंजी— II के भाग सं०— I पृष्ठ सं०— 50 में कायम जमाबंदी के अनुरूप ऑनलाइन पंजी— II में जमाबंदी कायम करने के निमित्त आम इस्तेहार निर्गत कर आपत्ति की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०— 04, श्री राहुल कुमार वर्मा/अंचल निरीक्षक, धनवार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा आम इस्तेहार के उपरान्त कोई आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा— धरमपुर/145 के भौतिक पंजी— II के भाग सं०— I पृष्ठ सं०— 50 में कायम जमाबंदी के अनुरूप ऑनलाइन पंजी— II में उक्त जमाबंदी को कायम करने का आदेश दिया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।	

04.06.25
अंचल अधिकारी,
धनवार।

04.06.25
अंचल अधिकारी,
धनवार।